

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/5855-

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 09.07.25

1 नीम्बसिंह पुत्र
इन्द्रसिंह जाति
रावणा राजपुत
निवासी डीगड़ा
आटी तहसील व
जिला बाड़मेर

1 ईश्वरसिंह 2 कानसिंह पिसरान बीजराजसिंह 3 खीमकंवर
पत्नी करणसिंह 4 खीमसिंह पुत्र बीजराजसिंह 5 तेजमालसिंह
पुत्र करणसिंह 6 देश कंवर पत्नी बीजराजसिंह 7 पृथ्वीसिंह पुत्र
करणसिंह 8 वीरसिंह गोदपुत्र कमलसिंह 9 सिरे कंवर पत्नी
कमलसिंह 10 हरिसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपुत निवासी
डीगड़ा, आटी तहसील व जिला बाड़मेर 11 मोहनसिंह पुत्र
हरखसिंह 12 किशनसिंह पुत्र गोरधनसिंह (फोट) 12/1 पीरसिंह
12/2 ओमसिंह 12/3 जेतुसिंह पिसरान किशनसिंह 12/4
श्रीमती भीखी देवी पत्नी किशनसिंह 13 देवीसिंह पुत्र गोरधनसिंह
(फोट) 13/1 जगदीशसिंह 13/2 प्रेमसिंह 13/3 भाखरसिंह
पिसरान देवीसिंह 14 सरूपसिंह पुत्र गोरधनसिंह 15 भंवरसिंह
पुत्र हरखसिंह 16 माणकसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत
निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 139/2025

दिनांक- 30/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 635/257 रकबा 1.0684 हैक्टर, भूमि मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3230/2229 रकबा 0.2104 हैक्टर, खसरा संख्या 3231/2232 रकबा 0.5059 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी


दिनांक- बाड़मेर

09.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 3856-59

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी व पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नीम्बसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी डीगड़ा आटी तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण ईश्वरसिंह पुत्र बीजराजसिंह वगैराह जाति जाति राजपुत निवासी डीगड़ा, आटी तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर